न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर।
उपस्थिति–रूपाली सक्सेना (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. No.-UP1524)
CNR No. UPJP010002692004

Presented on : 18-05-2004
Registered on : 31-05-2012
Decided on : 12-03-2026
Duration : 21 years, 9 months, 25 days

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–250/2004
पंजीयन संख्या–600250/2004
राज्य बनाम मो0 शाकिर

मु0अ0सं0–626/2003
धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं साज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना–कोतवाली, जिला–जौनपुर।

दिनांक–12.03.2026

1. पत्रावली वर्ष 2004 से लम्बित है। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त काले उपस्थित नहीं है। राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

2. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी का अधिपत्र, अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 दं0प्र0सं0), अभियुक्त की हाजिरी होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश (धारा 83 दं0प्र0सं0) आदि प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर की आख्या व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश एन0बी0डब्लू0, धारा 82 दं0प्र0सं0 सम्बन्धित एस0एस0टी0 250/04, मु0अ0सं0 626/03 धारा गैगेस्टर एक्ट बनाम मोहम्मद शाकिर से सम्बन्धित वारंटी मो0 शाकिर पुत्र सुक्खे निवासी मंडवली, थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर की तलाश सम्भावित स्थानों पर की गयी। वारंटी दस्तयाब नहीं हुआ तथा नोटिस वारंटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर व नोटिस की फोटोकापी सार्वजनिक स्थान व पंचायत भवन पर समक्ष गवाहान 1. शौकत 2. मतलून निवासी मंडावली, थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर चस्पा किया गया व आम जनता से माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए गांव में मुनादी करवाया गया। मुझ उ0नि0 द्वारा थाना स्थानीय पर आमद रवानगी व माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया।

4. अभियोजन द्वारा हे0कां0 नरेन्द्र कुमार (पैरोकार) को साक्षी संख्या 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, साक्षी ने सशपथ बयान किया कि–विशेष सत्र परीक्षण संख्या 250/04 से सम्बन्धित समस्त साक्षियों के बाबत काफी तलाश किया गया, किन्तु प्रकरण काफी प्राचनी होने के कारण सम्बन्धित साक्षियों का पता नहीं चल पा रहा है। प्रकरण में अभियुक्त फरार हो चुका है। अभियुक्त का पता नहीं चल पा रहा है। भविष्य में अभियुक्त के मिल जाने पर साक्षियों को तलाश कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0, धारा 82 दं0प्र0सं0 उसके पश्चात धारा 83 दं0प्र0सं0 की आदेशिका जारी की जा चुकी है, जिसके तामीला के पश्चात भी अभियुक्त का पता नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार हो

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.12 15:59:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

चुका है। न्यायालय के पूर्व आदेश से साक्षियों के विरूद्ध भी आदेशिकाएं प्राप्त हैं। प्रकरण के काफी पुराने होने के कारण साक्षी का पता नहीं चल पा रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार साक्षियों को वरीयता से तलाश कर प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 दिनांक 18.05.2004 को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा जमानत करायी गयी। दिनांक 27.07.2004 को अभियुक्त को नकले प्राप्त करायी गयी। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.04.2005 से 21.05.2010 तक प्रस्तुत किया गया, जोकि न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी। दिनांक 23.07.2010 को अभियुक्त का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के पिछले कई तिथियों से गैर हाजिर होने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 23.07.2010 से गैर जमानती वारण्ट जारी है। जमानतदारों को धारा 446 दं0प्र0सं0 की नोटिस दिनांक 02.11.2010 को जारी की गयी, किन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध अभी तक पत्रावली आरोप विरचित नहीं किया जा सका है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन, जमानती वारण्ट, जमानतारों को नोटिस, गैर जमानती वारण्ट, धारा 82 व 83 दं0प्र0सं0 की आदेशिकाएं जारी की गयी, अभियुक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना कोतवाली बिजनौर से आख्या प्राप्त हुयी कि अभियुक्त की तलाश सम्भावित स्थानों पर की गयी वारंटी दस्तयाब नहीं हुआ नोटिस वारंटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर व नोटिस की फोटोकापी सार्वजनिक पंचायत भवन पर समक्ष गवाहान चस्पा किया गया। पत्रावली अति प्राचीन है। अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण उसके सम्बन्ध में धारा 299 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिए 12.03.2026 की तिथि नियत की गयी, किन्तु अभियोजन द्वारा कोई भी साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया। आज दिनांक 12.03.2026 को साक्षी हे0कां0 नरेन्द्र कुमार (पैरोकार), थाना कोतवाली का बयान अंकित कराया गया। साथ ही अभियोजन द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया कि विशेष सत्र परीक्षण उपरोक्त में अभियुक्त मो0 शाकिर पुत्र सुक्खे फरार चल रहा है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 व धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला रहा है। मंडावली प्रधान की तहरीर में कहा गया है कि उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है तथा उसके भाई जाफर द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि 12 वर्षों से मो0 शाकिर का कुछ पता नहीं चल रहा है। पत्रावली काफी प्राचीन है तथा पत्रावली के गवाह भी इस समय नहीं मिल रहे है कि पत्रावली में तत्काल गवाही करायी जा सके। अभियुक्त के मिलने पर गवाही कराया जायेगा। फरार अभियुक्त उपरोक्त के मिलने पर गवाही कराने की अनुमति प्रदान करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

7. अतः उपरोक्त कृत कार्यवाहियों की विवरण की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि प्रकरण लगभग 22 वर्ष पुराना है और पत्रावली अपार डी0जे0 से सम्बन्धित प्राचीनतम पत्रावली है। अभियुक्त लगभग 16 वर्षों से गरै हाजिर है, न ही उसके गिरफ्तार होने की सम्भावना है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही संचालित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त मो0 शाकिर पुत्र सुक्खे निवासी मांडावली, थाना कोतवाली, जिला बिजनौर के विरूद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही संचालित की जाती है। जब कभी निकट भविष्य में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है या गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उसके विरूद्ध विधिनुसार विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अभियुक्त के पते से स्थायी

गैर जमानतीय वारण्ट बनाकर **पुलिस अधीक्षक, जौनपुर व थानाध्यक्ष कोतवाली,** जौनपुर को आदेश की प्रति साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अगले 50 वर्ष तक पत्रावली विनष्ट न किये जाने का पृष्ठांकन किया जाए।

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1524